



2026:AHC:58773

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा अंतर्गत 482 बी.एन.एस.एस. संख्या
- 2350 सन् 2026

महेश एवं 2 अन्य

.....आवेदक गण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदकगण के अधिवक्ता : संजय कुमार पाण्डेय

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : जी.ए., राज कुमार वैश्य

न्यायालय संख्या - 72

माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रथम सूचना दाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. वैश्य, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री शिव दत्त शुक्ला को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत आवेदन वाद अपराध संख्या 19 सन् 2025, अंतर्गत धाराएँ 109(1), 191(2), 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस., थाना- डेबरुआ, जनपद सिद्धार्थ नगर में अग्रिम जमानत की प्रार्थना के साथ इस निवेदन सहित प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की दशा में आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें इस मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं तथा किसी भी आवेदक का कोई विशिष्ट भूमिका निर्दिष्ट नहीं की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक चोट, अर्थात् सिर की हड्डी में फ्रैक्चर, को छोड़कर कोई भी चोट जीवन के लिए घातक नहीं पाई गई है। यह भी कहा गया कि आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करेंगे तथा अन्वेषण अभिकरण अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उपस्थित होंगे। यह भी कहा गया कि यदि आवेदकगण को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अन्वेषण में सहयोग करेंगे तथा जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेंगे।
4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया।
5. आवेदकगण के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं तथा किसी भी आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका निर्दिष्ट नहीं की गई है। एफ.आई.आर. के अनुसार, आवेदकगण सहित पाँच अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मारपीट किए जाने

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना दाता पक्ष के चार व्यक्तियों को चोटें आईं। एक चोट, अर्थात् सिर की हड्डी में फ्रैक्चर, को छोड़कर कोई भी चोट जीवन के लिए घातक नहीं पाई गई है।

6. यह उल्लेखनीय है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा महत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से पलायन की संभावना तथा अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, और अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. वर्तमान प्रकरण में, अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन, आवेदकगण की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त संगत तथ्यों एवं परिस्थितियों का दृष्टिगत रखते हुए, वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का एक उपयुक्त मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

9. आवेदकगण- महेश, सर्वजीत तथा राजेश को उपर्युक्त वाद अपराध में गिरफ्तारी की दशा में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रु. 50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो-दो जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर, निम्नलिखित शर्तों सहित अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदकगण साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तथा संबंधित न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे;

(ii) आवेदकगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

(iii) आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करेंगे तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदकगण संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन को आवेदकगण को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त कराए जाने हेतु उपयुक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

वीरेन्द्र

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"